2023/257

मु0न0:–100/2023

उनवानः– घोली देवी बनाम फाबूल्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 100/2023 दिनांकः– 06.07.2023

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

घोली देवी उर्फ रामपति पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी पाटौली तहसील महवा जिला दौसा।

(वादीया)

बनाम

1. फाबूल्या पुत्र रामसिंह माली
2. शिवलाल पुत्र रामसिंह माली
3. ललिता बाई पुत्री रामसिंह माली
4. तहसीलदार टोडाभीम।
5. सहायक रजिस्ट्रार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत शुद्वी राजस्व रिकार्ड व उद्घोषणा खातेदारी

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादीया
पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक 16.12.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दांतली की आराजी ख0न0 490/0.32, 491/0.32, 492/1/0.13, 494/0.23, 497/0.01, 498/0.03, 499/0.30, 518/0.51, 519/1/0.04, 520/0.10, 521/0.04, 522/0.12, 523/1/0.06, 524/0.01, 526/0.03, 527/0.14, 528/0.13, 529/0.06, 530/0.24, 531/0.15, 532/0.08, 533/0.01, 534/0.17, 541/0.43, 542/1/0.07, कुल किता 25 कुल रकवा 3.73 है0 मे वादीया 125/1492 हिस्से की खातेदार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा बाकी अन्य खातेदार जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

वादीया एवं प्रतिवादीगणो का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:–

रामसिंह पुत्र गोकल (फौत)

किशनप्यारी (फौत)	फाबूल्या	शिवलाल	ललिता देवी	घोली देवी उर्फ रामपति
पत्नि	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री

यह है कि वादीया को ग्राम पाटौली मे धोली उर्फ रामपति पुत्री रामसिंह के नाम से जाना जाता है। प्यार से बचपन मे दोनो नामो से पुकारा जाता था। वादीया के पिता रामसिंह पुत्र गोकुल व माता किशनप्यारी पत्नि रामसिंह के स्वर्गवास हो जाने बाद राजस्व कर्मचारियो ने वादीया का नामांतकरण खालते समय बिना जानकारी के वादीया का बोलता नाम घर का रामपति दर्ज करा दिया। जबकि वादिया को धोली पुत्री रामसिंह के नाम से भी जाना जाता है। एवं वादीया के समस्त रिकार्ड धोली के नाम से बने हुये है। यदि सही जानकारी ली होती तो राजस्व कर्मी वादिया के दोनो ही नाम या रिकार्ड का नाम धोली देवी दर्ज करना चाहिए था [illegible] निवास पाटोली तहसील महवा जिला दौसा होने के कारण राजस्व कार्मिको ने वादि[illegible] करण दर्ज करते समय गहन जॉच नही की। जिससे वादिया का बो[illegible] वादिया के समस्त दस्तावेजात धोली देवी के नाम से बने हुये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत पाटौली के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक एसपी1 दिनांक 20.06.2023 मे भी वादीया का नाम धोली देवी पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी पाटौली दर्शाया गया है तथा जिसमे आधार कार्ड न0 4318 5219 1477 मे भी दर्शाया गया है एवं वादीया का दूसरा बोलता नाम रामपति पुत्री रामसिंह भी दर्शाया गया है। जैसे ही वादीया को गलत इन्द्राज का मालुम हुआ तो वादिया ने प्रतिवादीयान से हाथ जोडकर निवेदन किया कि तहसील मे चलकर शुद्वी करवा दे तो प्रतिवादियो ने स्पष्ट मना कर दिया। और धमकी दी हम तो नही चलेगे एवं नाही हम तेरे पक्ष मे बयान करेगे कि इसका नाम शुद्व कर दो। वादीया तहसीलदार टोडाभीम से मिली तो उन्होने आदेशित किया कि उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के यहा दावा पेश करो।

विनायदावा दिनांक 05.06.2023 को वादिया द्वारा प्रतिवादीगणो को वादपत्र मे वर्णित आराजीया तमे वादीया का नाम शुद्व नही करवाने की स्पष्ट धमकी देने बमुकाम दांतली मे हुआ। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे की ग्राम दांतली की आराजी ख0न0 490/0.32, 491/0.32, 492/1/0.13, 494/0.23, 497/0.01, 498/0.03, 499/0.30, 518/0.51, 519/1/0.04, 520/0.10, 521/0.04, 522/0.12, 523/1/0.06, 524/0.01, 526/0.03, 527/0.14, 528/0.13, 529/0.06, 530/0.24, 531/0.15, 532/0.08, 533/0.01, 534/0.17, 541/0.43, 542/1/0.07, कुल किता 25 कुल रकवा 3.73 है0 मे वादीया का नाम रामपति पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी पाटौली हिस्सा 125/1492 हजफ फरमाया जाकर वादीया का नाम धोली देवी पुत्री रामसिह हिस्सा 125/1492 या धोली देवी उर्फ रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा 125/1492 की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे या धोली देवी पुत्री रामसिंह हिस्सा 125/1492 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिया के उपयोग उपभोग मे मजाहमत मदाखलत नही करे, वादीया का बेदखल नही करे नाही भूमि मे निर्माण करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 4 व 5 पैरोकार सरकार उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर किये लेकिन दिनांक 07.08.2024 को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी न0 4 व 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि ग्राम दांतली की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 35 मे कुल किता 25 रकवा 3.73 है0 मे रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा 125/1492 जाति माली सा.देह पाटौली दर्ज रिकार्ड है। वादीया का नाम ग्राम दातली मे विरासत के नामांतकरण न0 270 दिनांक 20.01.2017 से मृतक रामसिंह पुत्र गोकल व नामांतकरण न0 375 दिनांक 05.01.2023 से मृतक किशनप्यारी पत्नि रामसिंह के स्थान पर फाबूल्या, शिवलाल पि0 रामसिंह, रामपति, ललिता बाई पुत्री रामसिंह जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीया के दस्तावेजात आधारकार्ड, पहचानपत्र, राशनकार्ड मे धोली देवी पत्नि रामकिशोर अंकित है, रामपति पुत्री रामसिंह व धोली देवी पुत्री रामसिंह जाति माली दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। धोली देवी पुत्री रामसिंह के नाम ग्राम दांतली की जमाबन्दी मे कोई नाम दर्ज नही है।

वादीया वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादीया वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित ग्राम दांतली की आराजी कुल किता 25 कुल करवा 3.73 है0 मे वादीया [illegible] रामसिंह के स्थान पर रामपति पुत्री रामसिंह दर्ज कर दिया जो कि गलत है वादीया के [illegible]स्त[illegible]ावेजात मे धोली देवी पत्नि रामकिशोर का अंकन है। इसलिये वादीया का नाम रामपति [illegible] रामसिंह जाति माली निवासी पाटौली हिस्सा 125/1492 हजफ फरमाया [illegible] धोली देवी पुत्री रामसिह हिस्सा 125/1492 या धोली देवी उर्फ रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा [illegible]/1492 की खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

..षित फरमाया जावे या धोली देवी पुत्री रामसिंह हिस्सा 125/1492 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जवाब दावा मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 25 रकवा 3.73 है0 मे रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा 125/1492 जाति माली सा.देह पाटौली दर्ज रिकार्ड है। जो विरासत के नामांतकरण न0 270 दिनांक 20.01.2017 से मृतक रामसिंह पुत्र गोकल व नामांतकरण न0 375 दिनांक 05.01.2023 से मृतक किशनप्यारी पत्नि रामसिंह के स्थान पर फाबूल्या, शिवलाल पि0 रामसिंह, रामपति, ललिता बाई पुत्री रामसिंह जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। रामपति पुत्री रामसिंह व धोली देवी पुत्री रामसिंह जाति माली दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। धोली देवी पुत्री रामसिंह के नाम ग्राम दांतली की जमाबन्दी मे कोई नाम दर्ज नही है।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम दांतली के खाता न0 55 मे कुल किता 25 कुल रकवा 3.73 है0 मे वादीया रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा 25/1492, रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा 25/373 अर्थात रामपति पुत्री रामसिंह का हिस्सा 25/1492 +25/373 कुल हिस्सा 125/1492 दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 3 तथा अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल वादीया के दस्तावेज आधार कार्ड न0 4318 5219 1477, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र कमांक डी.एल. एस/1693241, राशनकार्ड न0 01037, मे धोली पत्नि रामकिशोर सैनी का अंकन है। ग्राम पंचायत पाटौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे श्रीमति धोली पुत्री रामसिंह का दूसरा बोलता नाम रामपति पुत्री रामसिंह भी है का अंकन है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत जबाब रिपोर्ट मे भी धोली देवी पुत्री रामसिंह व रामपति पुत्री रामसिंह एक ही महिला के नाम होने का अंकन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम दांतली की आराजीयात ख0न0 490/0.32, 491/0.32, 492/1/0.13, 494/0.23, 497/0.01, 498/0.03, 499/0.30, 518/0.51, 519/1/0.04, 520/0.10, 521/0.04, 522/0.12, 523/1/0.06, 524/0.01, 526/0.03, 527/0.14, 528/0.13, 529/0.06, 530/0.24, 531/0.15, 532/0.08, 533/0.01, 534/0.17, 541/0.43, 542/1/0.07, कुल किता 25 कुल रकवा 3.73 है0 मे रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा 25/1492 जाति माली सा.देह पाटोली खातेदार तथा रामपति पुत्री रामसिंह हिस्सा 25/373 जाति माली सा.देह पाटोली खातेदार है। उक्त हिस्से को संयुक्त रूप से दर्ज कर उसके स्थान पर धोली देवी पुत्री रामसिंह हिस्सा 125/1492 जाति माली सा.देह पाटोली खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को उक्तानुसार निर्णय की प्रति तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner